HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Writ Petition No. 16416/2011

1. Dashrath Lal Meena s/o Shri Sawariya Meena aged about 42 years r/o Sinoli via Soorwal Tehsil & District Sawaimadhopur (Rajasthan) at present under M.Sc. Nursing Training, College of Nursing, SMS Hospital campus, Jaipur (Rajasthan).
2. Ms. Gyanta Devi d/o Gurji Ram Yadav aged about 24 years r/o Sripuram Colony, Gurjar ki Thadi, Jaipur. (Rajasthan) at present under M.Sc. Nursing Training, College of Nursing, SMS Hospital campus, Jaipur (Rajasthan).

----Petitioners

Versus

1. State of Rajasthan through Principal Secretary to Government, Medical & Health Department, Rajasthan, Jaipur.
2. The Dy. Secretary to Government, Medical & Health (Gr.III) Department, Government of Rajasthan, Government Secretariat, Jaipur (Rajasthan)
3. Addl. Director (Admn.) Directorate of Medical & Health Department, Swasthya Bhawan, Jaipur.

----Respondents

Connected With

S.B. Civil Writ Petition No. 4130/2012

1. Rakesh Kumar Jatav S/o Shri Khem Chand, aged 35 years, R/o 13/517, Malviya Nagar, Jaipur presently working as Nurse Gr. II in Sawai Man Singh Hospital, Jaipur.
2. Rajendra Kumar Sharma S/o Shri Narayan Lal Sharma, aged 36 years, R/o 13/517, Malviya Nagar, Jaipur presently working as Nurse Gr.II in General Hospital, Dausa.
3. Smt. Uma Rani D/o Shri S.S. Rajora, R/o 285, Gurunanakpura, Rajapark, Jaipur presently working as Nurse Gr.II in Sawai Man Singh Hospital, Jaipur.
4. Smt. Joice Kurian D/o Shri T.C. Kurian, R/o 122, Aayakr Nagar, New Sanganer Road, Mansarovar, Jaipur presently

working as Nurse Gr.II under Superintendent, J.K. Lon Hospital, Jaipur.

----Petitioners

Versus

1. State of Rajasthan through Secretary to Medical & Health Services Rajasthan, Government of Rajasthan, Secretariat, Jaipur.
2. Additional Director (Adm.) Medical & Health Services Rajasthan, Chikitsa Bhawan, behind Secretariat, Jaipur.
3. Vice Chancellor, Rajasthan University of Health Sciences, Sector-18, Kumbha Marg, Pratap Nagar, Jaipur.

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Praveen Sharma Mr. Pooran Chand Verma
For Respondent(s)	:	Mr. R.B. Sharma Ganthola Ms. Sweekriti Sharma on behalf of Mr. Archit Bohra, AGC

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

24/02/2026

1. याचीगण दशरथ लाल मीणा, ज्ञानता देवी, राकेश कुमार, राजेन्द्र कुमार, उमा रानी व जॉइस कुरिअन द्वारा अनुच्छेद 226 भारतीय संविधान के अंतर्गत उक्त रिट याचिका प्रत्यर्थीगण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार के विरुद्ध इन आधारों पर प्रस्तुत की गई है कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर (आगे RUHS से संबोधित किया जाएगा) द्वारा प्रकाशित एमएससी नर्सिंग के प्रशिक्षण हेतु विज्ञप्ति दिनांक 03.11.2009 के माध्यम से याचीगण ने आवेदन किया था और याचीगण को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के उपरांत RUHS द्वारा चयन किया गया और पत्र दिनांक 15.02.2010 व 16.02.2010 के माध्यम से याचीगण को उक्त प्रशिक्षण जॉईन करने हेतु आदेश जारी किए गए, तदुपरांत संबंधित प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ नर्सिंग द्वारा याचीगण को पत्र दिनांक 20.02.2010 के माध्यम से यह सूचित किया गया कि याचीगण उक्त प्रशिक्षण को जॉइन करें। याचीगण का कहना है कि अयाचीगण द्वारा

अनुलग्नक 6 एवं आदेश अनुलग्नक 7 पारित किया गया, जिसमें यह शर्त अधिरोपित की गई है कि याचीगण को नियमानुसार स्वयं का अवकाश स्वीकृत कराना होगा और उक्त प्रशिक्षण हेतु राज्य सरकार/विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का वित्तीय भार वहन नहीं किया जाएगा।

2. याचीगण का तर्क है कि विभाग द्वारा सेवा में संबद्ध अन्य समान कर्मियों, जिनका चयन पोस्ट बीएससी नर्सिंग कोर्स में सत्र 2009–10 के लिए 2 वर्ष अथवा पाठ्यक्रम होने तक (जो भी पहले हो) अवधि तक के लिए हुआ था, उन्हें प्रतिनियुक्ति पर माना गया था और इस संदर्भ में अनुलग्नक 8 आदेश दिनांक 06.11.2009 पारित किया गया था और आदेश दिनांक 04.03.2009 अनुलग्नक 9 के द्वारा ऐसे सेवारत कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण की अवधि को प्रतिनियुक्ति की अवधि मानते हुए उन्हें वेतन एवं भत्ते देय किए गए थे।

3. याचीगण का यह भी तर्क है कि राज्य सरकार द्वारा आदेश दिनांक 12.09.2011 अनुलग्नक 10 के माध्यम से यह आदेश भी पारित किया गया है कि ऐसे राजकीय दंत चिकित्सक, जो कि पीजी कोर्स में अध्ययनरत हैं, उन्हें भी वेतन एवं भत्ते देय होंगे।

4. इस संदर्भ में याचीगण द्वारा उपरोक्त अनुलग्नक 9 एवं अनुलग्नक 10 के आधार पर एक प्रतिवेदन अयाची संख्या 3 के यहां दिनांक 10.10.2011 को इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि एमएससी नर्सिंग प्रशिक्षुओं को कार्यरत कर्मी मानते हुए उनकी प्रशिक्षण अवधि को प्रतिनियुक्ति की अवधि मानते हुए आदेश पारित किए जाएं।

5. इस संदर्भ में विद्वान् अधिवक्ता याचीगण द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा S.B. Civil Writ Petition No. 15125/2011 Mukesh Kumar Banjara & Anr. Vs The State of Rajasthan में पारित आदेश दिनांक 01.09.2014, जिसके द्वारा द्वारा संबंधित याचीगण को पूर्व में न्यायालय द्वारा S.B. Civil Writ Petition No. 4936/2014 Sunil Gurjar Vs State of Rajasthan & Anr. व संबंधित प्रकरणों में पारित आदेश दिनांक 20.05.2014 के दिशानिर्देशों के अनुरूप लाभ प्रदान करने के आदेश प्रदान किए गए हैं, का अवलंब लिया गया है। उनका यह भी तर्क है कि Sunil Gurjar Vs State of

Rajasthan & Anr. (उपरोक्त) के निर्णय में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित निर्देश प्रदान किए गए हैंः—

> *"Consequently, the present petitions are disposed of with the direction that such of the petitioners, who have taken admission in government nursing colleges prior to 30.08.2011 i.e. the date on which the decision in the case of Suman Kumari (supra) was delivered, shall be entitled to the same benefits as granted to the petitioners in the case of Suman Kumari (supra). However, such benefits shall not be extended to those who are studying in private nursing institutes and to those who have taken admission subsequent to 30.08.2011, whose case shall be governed by Rules 97, 110 and 112 of the RSR for the grant of study leave and benefits as admissible according to the rules. Appropriate orders thereabout be passed on their applications."*

6. उक्त निर्णय से यह स्पष्ट है कि ऐसे अभ्यर्थी, जिनके द्वारा सेवा में कार्यरत रहते हुए दिनांक 30.08.2011 से पूर्व प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है, वह समस्त लाभ प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

7. उनका यह भी कथन है कि इस संदर्भ में S.B. Civil Writ Petition No. 15125/2011 को राज्य सरकार द्वारा खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी गई थी और खंडपीठ द्वारा राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत D.B. Special Appeal Writ No. 546/2015 को निर्णय दिनांक 01.12.2017 के द्वारा निस्तारित कर दिया गया और यह आदेश पारित किया कि D.B. Civil Special Appeal(W) No. 1077/2012 एवं उसके साथ संबद्ध प्रकरणों में रिट याचिका निस्तारित हो चुकी है और उसी के अनुरूप संबंधित प्रत्यर्थीगण लाभ प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

8. उनका यह भी कहना है कि इसी प्रकार S.B. Civil Writ Petition No. 2324/2007 Ram Kumar Singh Vs State & Anr. तथा S.B. Civil Writ Petition No. 2510/2007 Kuldeep Singh Vs State & Anr. में पारित आदेश

दिनांक 12.12.2008 के द्वारा अन्य समकक्ष कार्मिकों, जिनके द्वारा संबंधित कोर्सेस में भाग लिया गया था, की अवधि को भी सेवा में प्रतिनियुक्ति की अवधि मानते हुए आदेश पारित किया गया था और उक्त अवधि के संबंध में उन्हें वेतन एवं भत्ते तथा अन्य पारिणामिक लाभ दिए जाने के निर्देश प्रदान किए गए थे तथा याचीगण का प्रकरण भी उक्त प्रार्थीगण, जिनके संदर्भ में उपरोक्त आदेश पारित किए गए हैं, उनसे भिन्नता रखते हुए नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में याचीगण की रिट याचिकाएं स्वीकार की जाकर यह निर्देश दिए जाएं कि याचीगण द्वारा RUHS के एमएससी नर्सिंग के अंतर्गत जो कोर्स सत्र 2009–10 में किया गया है, उक्त अवधि को प्रतिनियुक्ति अवधि में माना जाकर उन्हें नियमानुसार वेतन व अन्य भत्ते देय किए जाएं।

9. इस संदर्भ में प्रत्यर्थीगण अधिवक्तागण द्वारा इस तथ्यात्मक स्थिति से अस्वीकृत प्रकट नहीं की गई है कि पूर्व में समान रूप से विभाग में कार्यरत अन्य अभ्यर्थियों द्वारा भी विभिन्न कोर्स के अंतर्गत, विभिन्न सत्रों के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त किया गया था और उपरोक्त रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त सेवारत व्यक्तियों के प्रशिक्षण की अवधि को प्रतिनियुक्ति की अवधि मानते हुए उन्हें वेतन भत्ते एवं अन्य पारिणामिक लाभ देने के आदेश दिए गए थे।

10. बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

11. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस संदर्भ में सर्वप्रथम S.B. Civil Writ Petition No. 4936/2014 एवं अन्य संबद्ध रिट याचिकाओं के अंतर्गत उपरोक्त अनुसार आदेश पारित किया गया था। उक्त आदेश से यह स्पष्ट है कि ऐसे कार्मिक, जो कि प्रत्यर्थीगण के विभाग में कार्यरत हैं और उनके द्वारा दिनांक 30.08.2011 से पूर्व किसी राजकीय नर्सिंग कॉलेज में प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है, तो उनकी वह अवधि जिसके अंतर्गत उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, प्रतिनियुक्ति की अवधि मानी जाएगी और साथ ही अन्य वेतन भत्ते व पारिणामिक लाभ भी देय होंगे।

12. इस तथ्य के संदर्भ में भी कोई विवाद नहीं है कि याचीगण द्वारा सत्र 2009–10 में दिनांक 30.08.2011 से पूर्व राजकीय संस्थान अर्थात् RUHS में

नर्सिंग का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा S.B. Civil Writ Petition No. 4936/2014 Sunil Gurjar Vs State of Rajasthan & Anr. आदेश दिनांक 20.05.2014, S.B. Civil Writ Petition No. 15125/2011 Mukesh Kumar Banjara & Anr. Vs The State of Rajasthan आदेश दिनांक 01.09.2014, S.B. Civil Writ Petition No. 2510/2007 Kuldeep Singh Vs State & Anr. आदेश दिनांक 12.12.2008 के अनुसार उक्त प्रार्थीगण भी अन्य समान सेवारत कर्मियों के समान उपरोक्त अवधि, जिसमें उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, के संदर्भ में उक्त अवधि को प्रतिनियुक्ति की अवधि मानते हुए, वेतन एवं अन्य भत्ते प्राप्त करने के अधिकारी हैं और साथ ही अन्य पारिणामिक लाभ भी प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

13. उपरोक्त संदर्भ में प्रत्यर्थीगण यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त आदेश की पालना तीन माह के अंतर्गत की जाए।

14. उपरोक्त अनुसार उक्त रिट याचिकाएं निस्तारित की जाती हैं।

(PRAVEER BHATNAGAR),J

MOHIT/ 77-78